

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : ए.4 (1) लेखा/बजट प्लान/11/

दिनांक :

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी .....  
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी .....

विषय :- माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के बिन्दु सं0 47-48 की अनुपालना में नये आरक्षित औषधि वितरण केन्द्र में सिविल कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 में आयोजना मद के अन्तर्गत अतिरिक्त बजट आवंटन।

संदर्भ :- राज्य सरकार की स्वीकृति क्रमांक : प.17(14)चि.स्वा./2/09 जयपुर दिनांक 26.08.2011

महोदय

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित स्वीकृति दिनांक 26.08.2011 (संलग्न) के क्रम में लेख है कि वर्ष 2011-12 में माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के बिन्दु सं0 47-48 की अनुपालना में नये आरक्षित औषधि वितरण केन्द्र में सिविल कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 में आयोजना मद में राशि रु. 117.00 लाख (अक्षरों में एक करोड़ सत्रह लाख मात्र) का अतिरिक्त बजट आवंटित किया जाता है। यह राशि राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटीज को संलग्न अनुसार अग्रिम दी जानी है। इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय पर प्राप्त किया जाये तथा समायोजन नियमानुसार समय पर सुनिश्चित किया जाये।

इस बजट का उपयोग राजस्थान मेडिकल सर्विसेस कॉरपोरेशन द्वारा इनके पत्र क्रमांक RMSC/लेखा बजट/2011-12/178 दिनांक 10.08.2011 द्वारा सूचित अनुसार ही करना है तथा अंकित कार्यों को निश्चित समयावधि में पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे।

निर्देश :-

1. प्रत्येक कार्य/सामग्री हेतु आवंटित राशि अनुमान पर आधारित है तथापि इससे अधिक राशि का व्यय नहीं किया जाये तथा यदि सामग्री इससे कम लागत में उपलब्ध होती है तो उतनी ही राशि का व्यय किया जावे पूर्ण आवंटित राशि का नहीं।
2. आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार पुनः आवंटन भी आई.एफ.एम.एस. की मैपिंग अनुसार किया जा सकता है।
3. उपर्युक्त बजट जिस कार्य के लिये आवंटित किया गया है उसी कार्य हेतु नियमानुसार व्यय किया जावे।
4. इस कार्यालय के प्रथम बजट आवंटन पत्र क्रमांक : ए.4(1) लेखा/बीएनपी/11/453 दिनांक 10.05.11 में दिये गये निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित करें।
5. समस्त व्यय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पूर्ण मितव्ययता से किया जाना सुनिश्चित करावे तथा व्यय की सूचना निर्धारित समयावधि में भिजवायें।

संलग्न :-

1. परिशिष्ट-1
2. संदर्भित स्वीकृति।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : ए.4 (1) लेखा/बजट प्लान/11/ 2769-77

दिनांक : 26.8.11

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान जयपुर।
2. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक : 178 दिनांक 10.08.11 के क्रम में आवंटन पत्र की प्रति अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 सेवायें, राज0 जयपुर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, (जोन)।
5. प्रभारी सर्वर, कृपया इस आवंटन विवरण को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
6. प्रभारी अंकमिलान शाखा, मुख्यालय।
7. संबंधित कोषाधिकारी।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर।


Government of Rajasthan  
Directorate of Medical & Health Services Rajasthan, Jaipur  
Additional Budget Allotment for the year 2011-12 (Plan)

(Rs. in lacs)

S. No.	Name of Office	No. of New DDC's	4210-01-796-(02)-[01] 28-Other Exp.
<b>CMHO's</b>			
1	Baran (CHC Chabra)	2	4.50
2	Baran (PHC Kaiwai)	1	2.25
3	Bikaner (CHC Dungargarh)	1	2.25
4	Bikaner (CHC Nokha)	1	2.25
	<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>11.25</b>
<b>PMO's</b>			
1	Kanwatia	4	9.00
2	Sethi Colony	2	4.50
3	Tonk	1	2.25
4	Banipark	3	6.75
5	Deedwana	1	2.25
6	Banswara	2	4.50
7	Nathdwara	1	2.25
8	Rajsamand	1	2.25
9	Balotara	3	6.75
10	Pali	2	4.50
11	Bikaner	3	6.75
12	Ratangarh	3	6.75
13	Sujangarh	2	4.50
14	Ajmer	2	4.50
15	Dausa	1	2.25
16	S. Ganganagar	4	9.00
17	Dholpur	3	6.75
18	Jalore	2	4.50
19	Ladnu	1	2.25
20	Sojatcity	3	6.75
21	Beawar	3	6.75
	<b>Total</b>	<b>47</b>	<b>105.75</b>
	<b>Grand Total</b>	<b>52</b>	<b>117.00</b>

(Rs. One Crore Seventeen lacs only)

1. आर.एम.एस.सी. के पत्रांक 178 दिनांक 10.08.2011 के अनुसार नये आरक्षित औषधि वितरण केन्द्रों पर सिविल कार्य हेतु एवं संदर्भित स्वीकृति दिनांक 26.08.2011 (प्रति संलग्न) अनुसार उक्त बजट आवंटन राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी को स्थानान्तरित करने हेतु अग्रिम रूप से आहरित करने हेतु दिया जा रहा है।
2. उपर्युक्त बजट जिस कार्य के लिये आवंटित किया गया है उसी कार्य हेतु नियमानुसार व्यय किया जावे।
3. इस कार्यालय के प्रथम बजट आवंटन पत्र क्रमांक : ए.4(1) लेखा/बीएनपी/11/453 दिनांक 10.05.11 में दिये गये निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित करें।

  
Director (PH)  
Medical & Health Services  
Rajasthan Jaipur

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक: पं017(14)चिस्वा/2/09

जयपुर,दिनांक: 26/8/11

निदेशक(जन सेवा)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राज0जयपुर।

विषय:-अग्रिम आहरण की स्वीकृति।

माहोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि बजट शीर्ष 4210-01-796-(02) [01] 28-विधि व्यय (आयोजना) में राशि रू0 225.00 लाख (अक्षरे रूपये दो करोड पच्चीस लाख मात्र) व। अतिरिक्त प्रावधान स्वीकृत कर राजस्थान मेडीकेयर रिलीफ सोसायटीज को स्थानान्तरित करने हेतु अग्रिम रूप से आहरित करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन एतद्वारा प्रदान की जाती है।

- (1) उक्त स्वीकृति राशि का उपयोग नवीन 100 डी.डी.सी. (प्रति डी.डी.सी.रू0 2.25 लाख की दर से) निर्मित करने हेतु ही किया जा सकेगा।
- (2) उक्त स्वीकृत अग्रिम राशि का समायोजन सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि में कराया जाना सुनिश्चित करावें।
- (3) उक्त स्वीकृत अतिरिक्त प्रावधान का समायोजन अनुपूरक अनुदान मांग/संशोधित अनुमान वर्ष, 2011-12 में यथासमय कराया जाना सुनिश्चित करावें।

उक्त स्वीकृति वित्त(व्यय-1)विभाग की आई.डी.संख्या 101102908 दिनांक 26.08.11 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय,

(सुनील कुमार शर्मा)  
शासन उप सचिव

प्रति: पि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1-निदेशी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 2-निदेशन निदेशक(एनआरएचएम), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0जयपुर।
- 3-निदेशी लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, राज0जयपुर।
- 4-शासन उप सचिव, वित्त(व्यय-1/बजट/आयोजना) विभाग, राज0जयपुर।
- 5-वित्तीय सहायकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0जयपुर।
- 6-व्यय अधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 7-ए।ल पत्रागली
- 8-राज्य पत्रागली।

लेखाधिकारी